>

Title: Need to exempt the MPs from paying toll charges on National Highways.

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी):** महोदय, मैं सांसद और पूर्व सांसद, दोनों की बात को उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं। देश में एन.एच पर टैक्स वसूली टौल का गेट बनाया हुआ है। यह गुड़गांव, और गाज़ियाबाद के बॉर्डर पर बना हुआ है। हमारे भूतपूर्व सांसद काफी संख्या में गुड़गांव से लेकर गाज़ियाबाद तक रहते हैं। वहां पर सिपाही, दारोगा, पुलिस या कोई भी अपनी गाड़ी लेकर चला जाता है। लेकिन, जब कोई पूर्व सांसद आते हैं, उनके पास संसद से दिया हुआ पहचान-पत्र है, उनकी गाड़ी पर संसद से दिया गया स्टीकर लगा हुआ है, लेकिन फिर भी टौल टैक्स पर उन्हें अपमानित किया जाता है और उनके साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। कभी कोई हमारे बुजुर्ग एक्स एम.पी. कह देते हैं कि वे एक्स एम.पी. हैं और जब वे अपने पोते-नाती इत्यादि के साथ भी बैठे रहते हैं, तब भी उनके साथ ज्यादती की जाती है और उनकी इज्जत नहीं की जाती है।सरकार ने उन्हें इतनी सुविधाएं दे दी हैं, रेल में प्रथम श्रेणी की यात्रा का पास दे दिया है।

सी.जी.एच.एस. की फैसिलिटी दे दी और एक्स एम.पी. के लिए जब सब कुछ हुआ, मैं सी.पी. जोशी से कई बार मिला हूं, जब सब कुछ दे दिया तो कितने एक्स एम.पी. हैं, जो बाइ रोड यात्रा करते हैं। आखिर तेल मोबिल भी तो उसमें लगता है कि मुफ्त में गाड़ी चलती है। लेकिन गाजियाबाद से गुड़गांव आते हैं तो उनको भी शर्मिन्दा होते देखा है। मैं भी थोड़े दिन एक्स एम.पी. था और हममें से बहुत से लोग एक्स एम.पी. होंगे।

अन्तिम बात मैं कहता हूं कि जो एम.पी. हैं, जैसे मेरा पटना हवाई अड्डा है तो मेरी गाड़ी दरभंगा से लेने के लिए आएगी, बीच में टोल गेट है, वे कहते हैं कि एम.पी. बैठा रहेगा तो जाने देंगे। फिर पटना में छोड़कर गाड़ी लौटेगी तो जब गाड़ी मुझको पटना लेने आये या छोड़कर जाये, तब भी उनको...(व्यवधान)

**सभापति महोदय :**

श्री अर्जुन राम मेघवाल,

श्री गोविन्द प्रसाद मिश्र,

श्री नारनभाई कछाड़िया,

श्रीमती जयश्रीबेन पटेल और

श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय को श्री हुक्मदेव नारायण यादव के साथ सम्बद्ध होने की अनुमति प्रदान की जाती है।

मंत्री जी बयान देना चाहते हैं।

**श्री हुक्मदेव नारायण यादव :** यह सभी के साथ होता है, सब के साथ यह ज्यादती होती है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि, यह एम.पी. और एक्स एम.पी. की इज्जत का, मान-सम्मान का, सामाजिक प्रतिष्ठा का सवाल है, इसलिए कुछ जवाब दीजिए।

**कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरीश रावत):** माननीय सदस्य की भावना से पूरा सदन सहमत है और मैं आपकी बात को सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर तक पहुंचा दूंगा।